



उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016

पत्रांक ते०प०- 4750 / ते०प० बिक्री 2026

दिनांक 30 अक्टूबर 2026

कार्यालय आदेश

उ०प्र० वन निगम के ई०आर०पी० एप्लीकेशन के सुचारु रूप से कियाशील न होने के कारण तेन्दूपत्ता क्रेताओं द्वारा लाटों की किश्तें निर्धारित समय पर जमा नहीं की जा सकी। साथ ही, जिनके द्वारा किश्तें पूर्व में जमा कर दी गयी है उनको निकासी नहीं दी जा सकी।

ई०आर०पी० एप्लीकेशन वर्तमान में पूर्ण रूप से कियाशील हो गया है। इस आधार पर तेन्दूपत्ता लाटों की किश्तें जमा करने एवं निकासी हेतु दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 30.10.2026 तक (कुल 30 दिन) का शून्यकाल प्रदान किया जाता है।

यह पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, लखनऊ द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर जारी किया जा रहा है।

[Signature]
(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)
30/10/26

पत्रांक ते०प०- 4750 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, प्रयागराज/लखनऊ क्षेत्र।
2. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, रेनुकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज, कर्वी एवं झाँसी।
3. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी।
4. प्रभारी (कम्प्यूटर अनुभाग), उ०प्र० वन निगम, लखनऊ।

[Signature]
(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)
30/10/26